न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 08/2022 (जी सी एम एस नम्बर 2022/19)

उनवानी प्रकरण :–

जगन कोल्ड चेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री रीतेश शर्मा उम्र करीब 47 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मुरारीलाल शर्मा जाति जाति ब्राहमण निवासी जगन भवन धौलपुर तहसील, व जिला धौलपुर ——————अपीलान्ट

बनाम्

1–तहसीलदार धौलपुर

2–श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नि स्व0श्री मुरारीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी जगन भवन धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ————————————रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 294 दिनांक 22.05.2015 बॉके ग्राम नैनोखर तहसील धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलांन्ट की ओर से :– श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट–1की ओर से :– पैरोकार सरकार

रेस्पोडेण्ड–2 की ओर से :– श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट

दिनांक : 13.02.2023

निर्णय

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1715 रकवा 01वीधा 08 विस्वा वांके ग्राम नैनोखर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार प्राथी जगन कोल्ड वेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक रीतेश शर्मा तन्हा खातेदार काश्तकार रहे तथा खसरा नम्बर 1714 रकवा 01 वीधा 18 विस्वा वांके ग्राम नैनोखर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार रैस्पो0संख्या–2 श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं प्रार्थी निदेशक रीतेश शर्मा एंव शिल्पी शर्मा संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार रहे। उपरोक्त आराजी में से रीतेश शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं शिल्पी शर्मा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.05.2015 पंजीयन दिनांक 06.05.2015 के माध्यम से अपीलान्ट जगन कोल्ड वेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक को विकय कर दिया। उपरोक्त

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रैस्पो0संख्या–1 ने अपीलान्ट के नाम आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक किया लेकिन अपीलान्ट जगन कोल्ड वेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक के नाम में 02 किता नाम रीतेश शर्मा एवं राजेन्द्र जोशी का नाम अंकित कर दिया जो गैर–कानूनी है। फर्म के निदेशक बदलते रहते है फिर भी राजेन्द्र जोशी ने निदेशक एवं फर्म से अपना त्याग पत्र दे दिया है तथा राजेन्द्र जोशी की जगह पर रैस्पो0संख्या–2 श्रीमती मीनाक्षी शर्मा को नियुक्त कर लिया गया है जो रैस्पो0संख्या–2 है। आक्षेपित नामान्तकरण में दो निदेशक का नाम अंकित कर दिया है इसकी जानकारी 01 वर्ष पूर्व हुई जिसे दुरूस्त कराने का आवेदन रैस्पो0संख्या–1 को अपीलान्ट की ओर से दिया था जिस पर पटवारी रिपोर्ट तलब की गई थी तभी से रैस्पो0संख्या–1 के कार्यालय में अपीलान्ट के कार्मिक चक्कर काट रहे थे। अब दिनांक 08.02.2022 को रैस्पो0 संख्या–1 ने इजहार किया कि न्यायालय के आदेश से ही नामान्तकरण में संशोधन या पुनः तस्दीक किया जा सकता है इससे पूर्व न्यायालय में कार्यवाही करने की जानकारी नहीं थी। इसलिये अपीलान्ट आक्षेपित नामान्तकरण से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। आक्षेपित नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्व है। रैस्पो0संख्या–1 ने आक्षेपित आदेश का अन्तिम निस्तारण करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतों का उल्लंघन है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट फर्म का निदेशक बदलते रहते है। फर्म में हित रखने वाले व्यक्ति फर्म में पार्टनर हो सकते है लेकिन पार्टनर निदेशक नहीं हो सकते है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त किये जाने या संशोधित किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण के माध्यम से अपीलान्ट फर्म जगन कोल्ड वेयर हाउस प्रा.लि. के साथ निदेशकों के व्यक्तिगत नाम रीतेश शर्मा एवं राजेन्द्र जोशी को जोड दिया था जो गलत है और आक्षेपित नामान्तकरण से निदेशकों के नाम विलोपित किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण में तथाकथित निदेशक का नाम राजेन्द्र जोशी का फर्म की बोर्ड मीटिंग दिनांक 12.06.2015 को राजेन्द्र जोशी के स्थान पर रैस्पो0संख्या–2 का नाम जरिये त्याग पत्र राजेन्द्र जोशी परिवर्तित कर दिया गया है। राजेन्द्र जोशी ने बोर्ड मीटिंग के बाद त्याग पत्र दिनांक 26.06.2015 को जारी किया था। निदेशक कम्पनी को चलाते है इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि निदेशक कम्पनी/फर्म में अंशधारक हो वे निदेशक के पद पर कार्य करने के लिये वेतन प्राप्त करते है। निदेशकों को किसी भी समय हटाया जा सकता है या निदेशक स्वंय त्याग पत्र देकर कम्पनी/फर्म से हट सकते है। इसकी सूचना आर.ओ.सी. को दी जाती है। इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों में आक्षेपित नामान्तकरण को निरस्त किया जाना या संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रस्तुत अपील आक्षेपित नामान्तकरण में त्रुटि की जानकारी होने तथा नकल प्राप्त होने से अवधि अंदर पेश है। विलम्ब शमन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त आधीन न्यायालय को पुनःनामान्तकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड निर्देश के साथ करने हेतु प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्व है। रैस्पो0संख्या–1 ने आक्षेपित आदेश का अन्तिम निस्तारण करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतों का उल्लंघन है। फर्म का निदेशक बदलते रहते है। फर्म में हित रखने वाले व्यक्ति फर्म में पार्टनर हो सकते है लेकिन पार्टनर निदेशक नहीं हो सकते है 'इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त किये जाने या संशोधित किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण के माध्यम से अपीलान्ट फर्म जगन कोल्ड वेयर हाउस प्रा.लि. के साथ निदेशकों के व्यक्तिगत नाम रीतेश शर्मा एवं राजेन्द्र जोशी को जोड दिया था जो गलत है और आक्षेपित नामान्तकरण से निदेशकों के नाम विलोपित किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण में तथाकथित निदेशक का नाम राजेन्द्र जोशी का फर्म की बोर्ड मीटिंग दिनांक 12.06.2015 को राजेन्द्र जोशी के स्थान पर रैस्पो0संख्या–2 का नाम जरिये त्याग पत्र राजेन्द्र जोशी परिवर्तित कर दिया गया है। राजेन्द्र जोशी ने बोर्ड मीटिंग के बाद त्याग पत्र दिनांक 26.06.2015 को जारी किया था। निदेशक कम्पनी को चलाते है इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि निदेशक कम्पनी/फर्म में अंशधारक हो वे निदेशक के पद पर कार्य करने के लिये वेतन प्राप्त करते है। निदेशकों को किसी भी समय हटाया जा सकता है या निदेशक स्वंय त्याग पत्र देकर कम्पनी/फर्म से हट सकते है। इसकी सूचना आर.ओ. सी. को दी जाती है। इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों में आक्षेपित नामान्तकरण को निरस्त किया जाना या संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण वयनामा के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण में कोई त्रृटि हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किया है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई

जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलान्ट की अपील में अंकित कथनों को स्वीकार किया तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 294 दिनांक 22.05.2015 ग्राम नैनोखर तहसील धौलपुर के विरूद्व पेश की है। अपीलान्ट का कथन है कि रैस्पो0संख्या–1 तहसीलदार धौलपुर ने अपीलान्ट के नाम आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक किया उसमें जगन कोल्ड वेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक के नाम रीतेश शर्मा एवं राजेन्द्र जोशी का नाम अंकित कर दिया जो गैर–कानूनी है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 294 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण बयनामा दिनांक 06.05.2015 के आधार पर खोला जाकर मुताविक बयनामा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। बयनामा के आधार पर खोले गये उक्त नामान्तकरण में कोई त्रृटि हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)